न्यूज़ टुडे

यूरोपीय संघ (EU) के साथ व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए भारत के छह व्यापक सिद्धांत

इन छह व्यापक सिद्धांतों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने प्रस्तुत किया है। इनका उद्देश्य भारत और EU के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी का निर्माण करना है।

इन छह व्यापक सिद्धांतों के बारे में

- **लोकतंत्र, कानून का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका** जैसे साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना।
- व्यापार बाधाओं को दूर करते हुए **वाणिज्यिक रूप से सार्थक, निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यापार का एजेंडा** तैयार करना।
- **जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट** उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए **सर्वोत्तम पद्धतियों व सुसंगत मानकों** का आदान-प्रदान करना।
- **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों** का विकास करना, महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना तथा लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना।
- **साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी (CBDR)** के अनुरूप व्यापार और सतत विकास में सहयोग करना।
- **परस्पर विकास एवं संवृद्धि** हेतु साझेदारी करना।

भारत-यूरोपीय संघ (EU) संबंध

- **पृष्ठभूमि: 2004** में भारत-यूरोपीय संघ के बीच **रणनीतिक साझेदारी** पर हस्ताक्षर किए गए थे।
  - राजनीतिक, आर्थिक और विकास में सहयोग हेतु **यूरोपीय संघ-भारत संयुक्त कार्य योजना 2005** को अपनाया गया है।
- **आर्थिक संबंध: 2023-2024** में द्विपक्षीय व्यापार लगभग **180 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान था।**
  - **यूरोपीय संघ अनुमानतः 117.34 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** के साथ भारत के लिए **FDI का मुख्य स्रोत** है।
- **द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां: यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर हस्ताक्षर न होना, श्रम और पर्यावरण मानकों पर असहमति आदि।

भारत के लिए यूरोपीय संघ (EU) का महत्व

- **चीन से संबंधित चिंताएं:** इसमें बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से चीन का वैश्विक विस्तार, एशिया में सैन्य हस्तक्षेप, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का दुरुपयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- **आर्थिक सुरक्षा:** भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बहुत अधिक है और लगातार बढ़ रहा है। साथ ही, भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इनपुट के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर भी है।
- **महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां:** यूरोपीय संघ की साइबर, अंतरिक्ष, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रकों में क्षमताओं से भारत को लाभ हो सकता है।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए नियमावली को मंजूरी दी

मार्च 2024 में, **उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी** मिल गई थी। इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर अब **उत्तराखंड, स्वतंत्रता के बाद UCC अपनाने वाला देश का पहला राज्य** बन गया है।

समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में

- **अर्थ:** इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए **धर्म, लिंग, या जातिगत भेदभाव के बिना एक समान व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) प्रणाली स्थापित** करना है। इसके तहत **विवाह, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का उत्तराधिकार** जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 44** के तहत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (भाग IV) में पूरे भारत में UCC लागू करने की बात कही गई है।
- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में, ऐसे मामले **संबंधित धार्मिक कानूनों** द्वारा शासित होते हैं।
  - **गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867** में UCC के समान प्रावधान हैं।

समान नागरिक संहिता (UCC) की आवश्यकता क्यों है?

- **लैंगिक समानता:** विवाह, तलाक आदि से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों में अक्सर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव देखने को मिलता है।
- **सामाजिक सामंजस्य:** भारत की कानूनी प्रणाली में धार्मिक और नृजातीय विविधता विभाजन को बढ़वा दे सकती है।
- **भारतीय समाज में सुधार करना:** आस्था और विश्वास के नाम पर समाज में प्रचलित अनेक अंधविश्वासों तथा अति-रूढ़िवादी प्रथाओं को समाप्त करना भी जरूरी है।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले

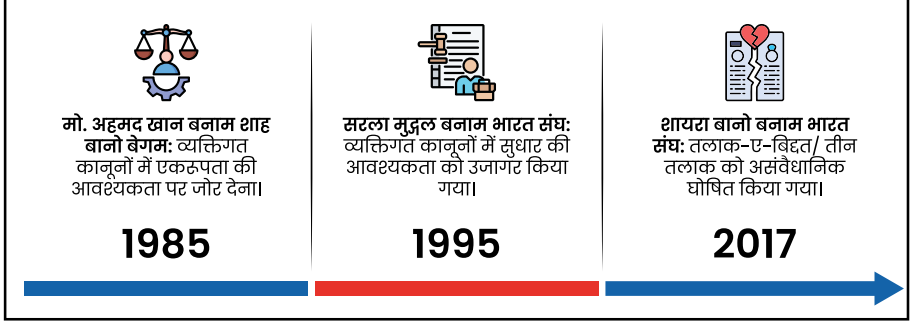

समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने में मुख्य चुनौतियां

- **व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य द्वारा हस्तक्षेप के बीच संतुलन सुनिश्चित करना:** संविधान का अनुच्छेद 25 **धर्म की स्वतंत्रता** की गारंटी देता है। साथ ही, संविधान की **5वीं और 6ठी अनुसूची** जनजातीय रीति-रिवाजों व विश्वासों का संरक्षण सुनिश्चित करती है।
- **धार्मिक समूहों और धार्मिक नेताओं द्वारा विरोध:** उनका कहना है कि यह उनके धार्मिक कानूनों एवं परंपराओं में हस्तक्षेप कर सकती है। इससे सामाजिक और राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं।

निष्कर्ष

हमें एक **पंथनिरपेक्ष संहिता** बनाने की आवश्यकता है, जो समानता, न्याय और समावेशिता जैसे संवैधानिक सिद्धांतों को बढ़ावा दे, न कि जबरदस्ती एकरूपता लागू करने पर जोर दे।

ऑक्सफैम ने "टेकर्स नॉट मेकर्स: द अनजस्ट पॉवर्टी एंड अनअर्न्ड वेल्थ ऑफ कोलोनिअलिज़्म" नामक रिपोर्ट प्रकाशित की

रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि **अरबपतियों की संपत्ति अभूतपूर्व स्तर तक बढ़** गई है, जबकि **दुनिया भर में गरीबी में रहने वाले लोगों को कई संकटों का सामना** करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **अरबपतियों की संख्या में वृद्धि:** 2024 में **अरबपतियों की संपत्ति** 2023 की तुलना में **तीन गुना** तेजी से बढ़ी है।
  - विश्व में **3.5 बिलियन से अधिक लोग अभी भी प्रतिदिन 6.85 डॉलर से कम** पर जीवन यापन कर रहे हैं। इसके विपरीत, **सबसे अमीर 1% लोगों के पास विश्व की 95% से अधिक आबादी की तुलना में बहुत अधिक संपदा** है।
- **औपनिवेशिक विरासत:** सर्वाधिक धनी लोगों के पास जो विपुल मात्रा में संपत्ति है, वह **अनर्जित प्रकृति** की है, यह यकीनन **उपनिवेशवाद की देन** है।
  - यूनाइटेड किंगडम ने **1765 से 1900 के बीच** उपनिवेशवाद के दौरान भारत से **64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की निकासी की थी। इसमें से **33.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोगों के पास पाए** गए थे।
  - उपनिवेशवाद एक ऐतिहासिक **(ऐतिहासिक उपनिवेशवाद) और एक आधुनिक समय की घटना (नव-उपनिवेशवाद)** दोनों है।
- **ऐतिहासिक उपनिवेशवाद का वर्तमान असमानता पर प्रभाव:**
  - शोषण और गहन आर्थिक असमानता, मनमाने तरीके से औपनिवेशिक देशों के विभाजन के कारण आधिपत्य पर संघर्ष आदि।
  - सामाजिक विभाजन (जैसे- नस्लवाद), ग्लोबल साउथ में भू-स्वामित्व का संकेंद्रण व खराब स्वास्थ्य संकेतक; अनुसंधान और वित्त-पोषण के क्षेत्र में विश्व स्तर पर मौजूद असमानताएं आदि।
- **समकालीन समय में औपनिवेशिक विरासत (नव-उपनिवेशवाद):**
  - **डिजिटल उपनिवेशवाद:** ग्लोबल नॉर्थ की शक्तिशाली कंपनियों ने डिजिटल संसाधनों पर अपना अधिपत्य बनाए रखा हुआ है।
  - **शोषणकारी कॉर्पोरेट संरचनाएं:** लाभ कमाने के लिए ग्लोबल साउथ में गरीब श्रमिकों का शोषण करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां।
  - **वैश्विक व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं में शक्तियों का असमान बंटवारा:** वैश्विक गवर्नेंस संस्थाओं पर अनौपचारिक रूप से ग्लोबल नॉर्थ का प्रभुत्व है।

औपनिवेशिक काल के दौरान भारत से धन की निकासी

- **दादाभाई नौरोजी के "धन की निकासी" सिद्धांत के अनुसार, भारत से धन की निकासी के निम्नलिखित स्रोत थे:**
  - **उच्च कर:** अत्यधिक भू-राजस्व के कारण ब्रिटिश शासन **कृषि से बहुत अधिक आय** अर्जित कर रहा था।
  - **व्यापारिक शोषण:** भारत ने कच्चे माल की आपूर्ति की और ब्रिटिशों से तैयार सामान खरीदा, जिससे स्थानीय उद्योग नष्ट हो गए।
    - **वर्ष 1750** में वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी **25%** थी, लेकिन **1900** तक यह घटकर **मात्र 2%** रह गई थी।
  - **अन्य स्रोत:** होम चार्ज (भारतीय राजस्व से ब्रिटिश प्रशासन का वित्त-पोषण), भारत से अर्जित लाभ को वापस ब्रिटेन भेजना, मुद्रा हेरफेर आदि।

संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने विश्व की प्रमुख संस्थाओं की सदस्यता छोड़ने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते** से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। साथ ही, उन्होंने **'अमेरिका फर्स्ट नीति' को भी प्राथमिकता देने** की घोषणा की है।

- ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित **मानदंडों और संस्थाओं को नया आकार** दे सकते हैं।

वैश्विक संस्थाओं से अमेरिका के बाहर निकलने का प्रभाव

- **फंड की कमी:** अमेरिका के बाहर निकलने से इन संस्थाओं को **वित्तीय संकट का सामना** करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, 2024-25 के दौरान, अमेरिका ने **WHO के कुल राजस्व में 19% का योगदान** दिया था।
- **जलवायु कार्रवाई पर असर:** साल **2024 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड** किया गया है। **संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में ग्रीनहाउस गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक** देश है। सबसे बड़ा **उत्सर्जक चीन** है। जाहिर है अमेरिका के पीछे हटने से वैश्विक जलवायु कार्रवाई की दिशा में प्रयास कमजोर हो सकते हैं।

प्रमुख वैश्विक संस्थाएं और उनके समक्ष चुनौतियां

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):** यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। इसके बावजूद यह अभी भी पुरातन बना हुआ है। **विकासशील देशों को इसकी स्थायी सदस्यता प्रदान नहीं** की गई है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन:** कोविड-19 महामारी के दौरान इस **संस्थान की कमियां उजागर** हुई थीं। साथ ही, इस संस्थान पर **पक्षपात करने का आरोप** भी लगाया जाता रहा है।
- **विश्व व्यापार संगठन:** कृषि सब्सिडी विवाद और व्यापार बाधाएं; ई-कॉमर्स जैसे नए क्षेत्रकों पर सदस्य देशों के बीच **व्यापक असहमति** आदि। इसके अलावा, **अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध** भी विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है।
- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC):** हाल ही में, UNFCCC के **पक्षकारों का 29वां सम्मेलन (COP-29) अजरबैजान** में आयोजित हुआ था। इसमें जलवायु कार्रवाई हेतु विकासशील देशों को दी जाने वाली वित्त-पोषण की राशि को बढ़ाकर **2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** करने पर सहमति बनी थी। हालांकि, **विकासशील देशों ने 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग** की थी।
  - ध्यातव्य है कि UNFCCC **1994 में प्रभावी** हुआ था।

वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी क्यों है?

- **संरचनात्मक बदलाव के लिए:** संस्थाओं को स्वतंत्र, उत्तरदायी और अधिक प्रतिनिधित्व वाली बनाने तथा इनकी **जवाबदेही, सत्यनिष्ठा एवं स्वीकार्यता बढ़ाने** के लिए सुधार जरूरी है।
- **विकासशील देशों को अधिक वित्त-पोषण प्रदान करने के लिए:** गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील देशों को अधिक फंडिंग की जरूरत है।
- **नई चुनौतियों से निपटने के लिए: साइबर सुरक्षा** जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए फ्रेमवर्क बनाने तथा विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए भी सुधार आवश्यक हैं।

वैश्विक संस्थाओं के कमजोर होने के प्रभाव

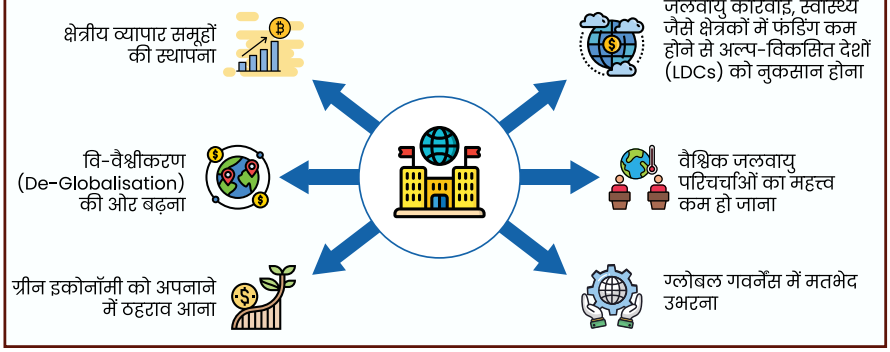

विश्व आर्थिक मंच ने एक लचीले वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के निर्माण में भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला

भारत में **डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अंतर को कम करने की दिशा में विकसित** हो रही है। इसमें **टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और AI संचालित निदान** का लाभ उठाया जा रहा है।

भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना की मुख्य विशेषताएं:

- **इंटरऑपरेबिलिटी और मानकीकरण:** हितधारकों के बीच निर्बाध डेटा विनिमय सुनिश्चित करना।
  - उदाहरण के लिए- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य विशिष्ट स्वास्थ्य IDs** के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों को एकीकृत करके एक **राष्ट्रव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र** बनाना है।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग:** नवाचार और विस्तार के लिए साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
  - उदाहरण के लिए- **हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर** को केंद्रीय रूप से बनाए रखा जाएगा। साथ ही, भारत में निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के मानकीकृत डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान की जाएगी।
    - **हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर:** यह भारत में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की रिपॉजिटरी है।
- **वहनीयता और पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना:** स्वास्थ्य सेवा को समावेशी बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाना।
  - उदाहरण के लिए- **ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा** दूरदराज के क्षेत्रों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा से जोड़ती है। इससे लाखों रोगियों को परामर्श देना संभव हो पाता है।

डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति में भारत एक वैश्विक पथ-प्रदर्शक:

- भारत अपनी डिजिटल अवसंरचना और बड़ी आबादी के कारण **वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल समाधान विकसित करने के लिए एक आदर्श परीक्षण स्थल** है।
- दुनिया भर में भारत की डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना का अनुकरण किया जा सकता है। ऐसा करके बढ़ती लागत, असमान पहुंच और चिरकालिक बीमारियों के बोझ जैसी **सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों का समाधान** किया जा सकता है।
- भारत के **क्रॉस-सेक्टर साझेदारी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) जैसे सफल मॉडल्स** को अन्य क्षेत्रों (विशेषकर निम्न व मध्यम आय वाले देशों) के लिए अपनाया जा सकता है।

भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना से संबंधित पहलें

- **यू-विन पोर्टल:** यह सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत **गर्भवती महिलाओं और जन्म से 17 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण रिकॉर्ड** को बनाए रखता है।
- **आरोग्य सेतु ऐप:** यह ऐप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द्वारा संचालित डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है।
- **नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम:** यह कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए चलाया जा रहा है।
- **ई-हॉस्पिटल एप्लीकेशन:** इसका कार्य अस्पतालों के इंटरनल वर्कफ़्लो और प्रक्रियाओं को बनाए रखना है।

RBI ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) द्वारा कर्जदारों के बकाये के निपटान पर दिशा-निर्देशों को संशोधित किया

ये दिशा-निर्देश **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी/ SARFAESI) अधिनियम, 2002**" द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

- **सरफेसी अधिनियम** का उद्देश्य गैर-**निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) और डूबे कर्जों** की वसूली करना है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को **न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना गिरवी रखी गई संपत्तियों की नीलामी के माध्यम से चूक (डिफॉल्ट) वाले ऋण वसूलने** की शक्ति प्रदान करता है।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर

- **प्रत्येक ARC द्वारा बोर्ड-स्वीकृत नीति तैयार करना:** कर्जदारों द्वारा भुगतान किए जाने वाले बकाये के निपटान (settlement) के लिए बोर्ड-स्वीकृत नीति बनानी होगी। इसमें **वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) के लिए पात्रता मानदंड** जैसे पहलू शामिल होंगे।
- **एक करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि वाले खातों का निपटान:** ऐसे मामलों में **निपटान केवल एक स्वतंत्र सलाहकार समिति (IAC) द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद** किया जा सकता है। IAC में वित्तीय व कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे॥
  - **बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,** IAC की सिफारिशों पर विचार करेंगे और ऋण वसूली के वैकल्पिक उपायों का मूल्यांकन करेंगे। **बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम-से-कम दो स्वतंत्र निदेशक** शामिल होंगे।
- **1 करोड़ रुपये या उससे कम की बकाया राशि वाले खातों का निपटान:** ऐसे मामलों का तेजी से समाधान करने के लिए, इन्हें बोर्ड-स्वीकृत नीति के तहत स्थापित एक सक्षम प्राधिकरण द्वारा निपटाया जा सकता है।
  - वित्तीय परिसंपत्ति का **अधिग्रहण करने वाले अधिकारी निपटान को मंजूरी देने की प्रक्रिया में भाग नहीं** ले सकते। इसका उद्देश्य **हितों के टकराव (conflict of interest) को रोकना** है।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) क्या है?

- **परिभाषा:** ARCs ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां** या डूब चुकी परिसंपत्तियां खरीदती हैं। इससे बैंकों को अपनी बैलेंस शीट सुधारने में मदद मिलती है।
- **पंजीकरण:** ARCs को **सरफेसी अधिनियम, 2002** के तहत **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा कंपनी के रूप में पंजीकृत** किया जाता है।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) का महत्त्व:

- **तनावपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों (distressed assets)** का शीघ्र समाधान हो पाता है। साथ ही बैंक, डेब्ट रिकवरी की बजाय **अपनी मुख्य गतिविधियों पर ध्यान** केंद्रित कर सकते हैं।
- **तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान वाले बाजार का विकास** होता है। साथ ही, **निवेश के वैकल्पिक अवसरों को बढ़ावा** मिलता है।
- ARCs, बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाती हैं, **बैंक की बैलेंस शीट में सुधार** करती हैं और **पूंजी जुटाने की बैंकों की क्षमता बढ़ाती हैं।**

अन्य सुर्ख़ियां

एंटिटी लॉकर

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने एंटिटी लॉकर विकसित किया है।

एंटिटी लॉकर के बारे में

- यह **सुरक्षित और क्लाउड-आधारित समाधान** है। यह **बड़े संगठनों, निगमों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों** आदि के लिए **डाक्यूमेंट्स को स्टोर, साझा एवं सत्यापन करना आसान बनाता है।**
  - यह भारत के **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- **एंटिटी लॉकर ऑफर:**
  - सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकरण के माध्यम से डाक्यूमेंट्स को **रियल टाइम आधार पर प्राप्त और सत्यापित** किया जा सकता है।
  - गोपनीय जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट के धारक की **सहमति प्राप्त करना अनिवार्य** किया गया है।
  - डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए **आधार नंबर से सत्यापन** किया जाएगा, ताकि भविष्य में गड़बड़ी होने पर जवाबदेही तय की जा सके।
  - इसमें **10GB की एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज सुविधा** उपलब्ध होगी। साथ ही डाक्यूमेंट्स को सत्यापित करने के लिए कानूनी रूप से **वैध डिजिटल सिग्नेचर** की आवश्यकता होगी।

सीएआर टी-सेल थेरेपी (CAR T-cell Therapy)

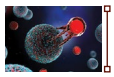

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने **रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग ड्रग्स 'क्वारटेमी'** को मंजूरी दे दी है। 'क्वारटेमी' **कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर-टी (Chimeric Antigen Receptor: CAR-T) सेल थेरेपी है।**

- **"लिविंग ड्रग्स"** एक ऐसी चिकित्सा है, जिसमें **रोगी की कोशिकाओं को निकाला जाता है, उन्हें संशोधित किया जाता है, और फिर उन्हें रोगी के शरीर में पुनः स्थापित** किया जाता है।

सीएआर टी-सेल थेरेपी के बारे में

- CAR-T उपचार, **T-कोशिका नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने के लिए प्रयोगशाला में संपादित (एडिट) करने** का एक तरीका है। इसमें **रोगी की टी-कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और उन पर आक्रमण करने के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर** किया जाता है।
  - टी-कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं हैं। ये **श्वेत रक्त कोशिकाओं** का एक प्रकार है। इनका प्राथमिक कार्य **साइटोटोक्सिक है, अर्थात अन्य कोशिकाओं को मारना।**
  - T कोशिकाओं को **रोगी के रक्त** से लिया जाता है। फिर उन्हें **मानव निर्मित रिसेप्टर** (CAR कहा जाता है) बनाने के लिए प्रयोगशाला में एक **जीन जोड़कर** बदल दिया जाता है।
    - **CAR वे प्रोटीन हैं, जो टी-कोशिकाओं को** कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद विशिष्ट प्रोटीन को पहचानने और उनसे जुड़ने में सहायता करते हैं।
- **कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें नष्ट करने के लिए** CAR-T कोशिकाओं का फिर रोगी के शरीर में वापस प्रवेश करा दिया जाता है।

विलय का सिद्धांत (Doctrine of Merger)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान 'विलय के सिद्धांत' को रेखांकित किया।

'विलय के सिद्धांत' के बारे में

- सुप्रीम कोर्ट ने **'कुन्हयाम्मद बनाम केरल राज्य, 2000' मामले** में इस सिद्धांत की व्याख्या की थी।
- इस सिद्धांत के अनुसार, **एक समय में एक ही विषय पर एक से अधिक डिक्री या आदेश लागू नहीं** हो सकते।
- इसलिए, जब एक उच्चतर न्यायालय, किसी अधीनस्थ अदालत के आदेश, डिक्री, या निर्णय को रद्द, संशोधित, या पुष्टि करते हुए निपटारा करता है, तो **निचली अदालत के आदेश का अस्तित्व समाप्त** हो जाता है और वह उच्चतर न्यायालय के आदेश में समाहित हो जाता है।

एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक शुरू होने से पहले वार्षिक **एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर** जारी किया गया।

- इसे **एडेलमैन ट्रस्ट** द्वारा जारी किया गया है। यह सर्वेक्षण **28 देशों** में किया गया है। यह **सरकार, मीडिया, व्यवसाय और गैर-सरकारी संगठन** जैसे समाज के सभी हितधारकों पर **लोगों के विश्वास (ट्रस्ट)** के **प्रभाव** का अध्ययन है।
- **सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
  - कम-आय वाले आबादी समूह के लोगों के सरकार, व्यवसाय, मीडिया आदि पर **विश्वास** के मामले में भारत **तीसरे स्थान** पर है। **प्रथम दो स्थानों पर क्रमशः चीन और इंडोनेशिया हैं।**
    - पिछले सर्वेक्षण की तुलना में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है।
  - **उच्च आय वर्गों का विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान** पर है।
- जब **अन्य देशों में भारतीय मुख्यालय वाली (भारत की) कंपनियों पर विश्वास की बात आती है, तो भारत 13वें स्थान** पर है।

चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य

हाल ही में, **कर्नाटक वन विभाग ने चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य** के भीतर स्थित शेरिबिकनहल्ली गांव को स्थानांतरित करने के लिए वार्तालाप शुरू की।

चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- **अवस्थिति: कलबुर्गी जिला, उत्तरी कर्नाटक।**
  - 2011 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था।
  - यह **दक्षिण भारत का पहला शुष्क भूमि वन्यजीव अभयारण्य है।**
- **वनस्पति:** इसके मध्य में **शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती वन** पाए जाते हैं तथा किनारों पर **बबूल व सागौन के वृक्ष** पाए जाते हैं।
- **प्रमुख वनस्पतियां: रेड सैंडर्स और चंदन।**
- **मुख्य जीव:** ब्लैक बक, चार सींग वाला मृग, फ्रूट बैट, लकड़बग्घा, भारतीय भेड़िया आदि।
- **अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:**
  - **चंद्रमपल्ली बांध:** यह इस वन्यजीव अभयारण्य को जल उपलब्ध कराता है।
  - **स्थानीय जनजातियां:** लम्बानी तांडा।

माउंट इबू

इंडोनेशिया के सुदूर हेलमहेरा द्वीप पर स्थित माउंट इबू में इस महीने 1,000 बार ज्वालामुखीय प्रस्फुटन हुआ।

माउंट इबू के बारे में:

- माउंट इबू एक **सक्रिय ज्वालामुखी** है। यह **पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का हिस्सा है,** जो लगातार **ज्वालामुखीय गतिविधि और भूकंप** के लिए जाना जाता है।
  - रिंग ऑफ फायर को **सर्कम-पैसिफिक बेल्ट** भी कहा जाता है। यह **प्रशांत महासागर के किनारे** का एक हिस्सा है, जहां कई सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां घटित होती रहती हैं।
- **इंडोनेशिया में अनेक ज्वालामुखी हैं,** क्योंकि यह **अभिसारी टेक्टोनिक प्लेटों,** विशेष रूप से **प्रशांत, यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों** पर स्थित है।
- **इंडोनेशिया में अन्य हालिया ज्वालामुखी प्रस्फुटन:** माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी।

इंडियन बाइसन (गौर)

हाल ही में, **झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व** में बाइसन की घटती आबादी की समस्या को दूर करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया।

इंडियन बाइसन के बारे में

- **विशेषताएं:** विशालकाय शरीर, बहुत मजबूत और सामाजिक प्राणी।
  - **यह एक चराई करने वाला पशु है** तथा पत्ते, फल, तने, फूल और बीज खाता है।
  - यह **स्वभाव से दिन के समय सक्रिय** रहने वाला जीव है।
  - मादा बाइसन की **गर्भावस्था अवधि मनुष्यों के समान 9 महीने** की होती है।
- **पर्यावास: पश्चिमी घाट।**
  - ये ज्यादातर **सदाबहार वनों और आर्द्र पर्णपाती वनों** में पाए जाते हैं।
  - ये आमतौर पर **पहाड़ी की तलहटी** में ही रहते हैं।
- **खतरे:** आहार की कमी, अवैध शिकार आदि।
- **संरक्षण की स्थिति:** IUCN (वल्नरेबल); **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** (अनुसूची-I) तथा CITES (परिशिष्ट-I)।

प्रलय मिसाइल और पिनाका रॉकेट

टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली 'पिनाका रॉकेट प्रणाली' गणतंत्र दिवस परेड 2025 में शामिल होंगी।

प्रलय मिसाइल के बारे में

- यह **सतह से सतह पर मार** करने वाली **'कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM)'** है।
- इसे **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने विकसित किया है।
- **इस मिसाइल की मारक क्षमता 150-500 किलोमीटर है।** इसे **मोबाइल लांचर** से दागा जा सकता है।
- **इस मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम** में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं।

पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) प्रणाली के बारे में

- यह **लंबी दूरी की आर्टिलरी प्रणाली है।** यह **75 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला करने** में सक्षम है।
- इसे DRDO ने विकसित किया है। **पेलोड, मारक क्षमता और रेंज के आधार** पर इस मिसाइल के कई संस्करण हैं।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

फ्रांस (राजधानी: पेरिस)

भारत और फ्रांस ने **हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री खतरों का संयुक्त रूप से आकलन करने पर सहमति** व्यक्त की। इसमें **समुद्री डकैती, आतंकवाद, तस्करी** आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

फ्रांस के बारे में

- **राजनीतिक विशेषताएं**
  - **स्थलीय सीमाएं:** इसके दक्षिण में **स्पेन और अंडोरा;** पूर्व में **इटली, स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी;** उत्तर-पूर्व में **लक्ज़मबर्ग** तथा उत्तर में **बेल्जियम** स्थित है।
  - **समुद्री सीमाएं:** इसके पश्चिम में **अटलांटिक महासागर और बिस्के की खाड़ी;** दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर-पश्चिम में **इंग्लिश चैनल** स्थित है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **सबसे ऊंची चोटी:** मोंट ब्लांक (आल्प्स का हिस्सा)।
  - **जलडमरूमध्य:** डोवर जलडमरूमध्य। यह फ्रांस को **दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड** से अलग करता है।
  - **प्रमुख नदियां:** सीन, लॉयर, रोन, राइन आदि। **पेरिस सीन नदी के तट** पर स्थित है।
  - **अन्य विशेषताएं:** मैसिफ़ सेंट्रल (वनीय पठार), पायरेनीस पर्वत। पायरेनीस पर्वत **फ्रांस और स्पेन के बीच की सीमा** पर स्थित है।

लुटि सुधार:

- 19 और 20 जनवरी, 2025 की 'न्यूज टुडे' में अन्य सुर्ख़ियों में **'ब्रिक्स'** टॉपिक में यह गलत उल्लेख किया गया था कि ***ब्रिक्स में सऊदी अरब सहित कुल 11 सदस्य हैं।***
- सही जानकारी यह है कि ***ब्रिक्स में कुल 10 सदस्य हैं।***
  - ***सऊदी अरब को 2023 में समूह की सदस्यता की पेशकश की गई थी, लेकिन उसने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है।***